राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

एफ 20(84) प्रसु/सूअप्र/2009

जयपुर, दिनांकः 22.08.2019

<u>अधिसूचना</u>

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्ः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सूचना का अधिकार (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 3 का संशोधन.– राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''फीस दी जायेगी।'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''फीस दी जायेगी या लोक प्राधिकारी को इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से संदत्त ऐसी फीस की समुचित रसीद दी जायेगी, यदि उस लोक प्राधिकारी के पास इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से फीस प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. नियम 4 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 4 में,–

(i) उप–नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''या भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में फीस'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''या भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में या यदि उस लोक प्राधिकारी के पास इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से फीस प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है तो लोक प्राधिकारी को इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से फीस'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) उप–नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''या भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में फीस'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''या भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में या यदि उस लोक प्राधिकारी के पास इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से फीस प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है तो लोक प्राधिकारी को इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से फीस'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से

(रविशंकर श्रीवास्तव)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
5. निजी सचिव, मुख्यसचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को असाधारण गजट के दिनांक 22.08.2019 के असाधारण गजट अंक में प्रकाशन हेतु।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
8. विधि (संहिताकरण)विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(जगदीश चन्द्र माथुर)
शासन उप सचिव

Scanned by CamScanner

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT
(RIGHT TO INFORMATION CELL)

No.F 20(84)AR/RTI/2009 **Jaipur, dated: 22-08-2019**

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 27 of the Right to Information Act, 2005 (Central Act No. 22 of 2005), the State Government hereby makes the following rules further to amemd the Rajasthan Right to Information Rules, 2005, namely:-

1. **Short title and Commencement.**– (1) These rules may be called the Rajasthan Right to Information (Amendment), Rules 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazzette.

2. **Amendment of rule 3.**– In rule 3 of the Rajasthan Right to Information Rules, 2005, hereinafter referred to as the said rules, for the existing expression "payable to the public authority.", the expression "payable to the public authority or proper receipt of such fees paid by electronic means to the public authority, if facility for receving fees through electronic means is available with the public authority." shall be substituted.

3. **Amendment of rule 4.**– In rule 4 of the said rules,-

   (i) in sub-rule (1), for the existing expression "payable to the public authority", the expression "payable to the public authority or by electronic means to the public authority, if facility for receving fees through electronic means is available with the public authority." shall be substituted.

   (ii) in sub-rule (2), for the existing expression " payable to the public authority", the expression "payable to the public authority or by electronic means to the public authority, if facility for receving fees through electronic means is available with the public authority." shall be substituted.

By Order of the Governer,

(Ravishankar Shrivastava)
Additional Chief Secretary to the Government

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Principal Secretary to Hon'ble Governor, Rajasthan.
2. Principal Secretary to Chief Minister, Rajasthan.
3. All Addl. Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Rajasthan, Jaipur.
4. All Head of Departments, Rajasthan.
5. PS to Chief Secretary, Rajasthan.
6. Director, Printing&Stationary, Rajasthan,Jaipur for publication in Issue of the extra ordinary Gazette dated 22-08-2019.
7. Director, Information & Public Relation Department, Jaipur.
8. Law(Codification) Department.
9. Guard file.

(Jagdish Chandra Mathur)
Dy. Secretary to the Government

Scanned by CamScanner